भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 1321
वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक हल्दी व्यापार

1321. श्री इटेला राजेंदर:
श्रीमती डी. के. अरुणा:
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:
क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि:

(क) क्या देश का वैश्विक हल्दी व्यापार में 62 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है और उसे खबरों के अनुसार प्रमुख निर्यात बाजारों में मसालों को अस्वीकृत किए जाने, कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण किसानों द्वारा खेती से हाथ खींचने और फर्मों द्वारा अपेक्षित करक्यूमिन के वांछित स्तरों को पूरा न करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो आगे के विकास में बाधक हैं और सरकार द्वारा यह उम्मीद जताई जा रही है कि तेलंगाना के निजामाबाद स्थित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (एनटीबी) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजारों को विकसित करने में मदद करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे निर्यात को बढ़ावा देने और पांच वर्षों में उत्पादन को दोगुना करके लगभग दो मिलियन टन करने में मदद मिलेगी तथा इससे आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित देश में राज्यवार हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास पर ध्यान केन्द्रित होगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कृषि आय मुख्यत: किसानों की धान, सोयाबीन जैसी अनेक फसलों की खेती पर अत्यधिक निर्भरता के कारण थी और मूल्यों में अचानक गिरावट, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों, कीट संक्रमण, सही खरीददारों से संपर्क न कर पाने और मिट्टी की उर्वरता से संबंधित मुद्दों के कारण इसमें समस्याएं आईं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) भारत दुनिया में हल्दी का प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत ने 226.58 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की 1,62,018 टन हल्दी का निर्यात किया , जो हल्दी के वैश्विक निर्यात का लगभग 65% है । वर्ष 2023-24 में, भारत से निर्यात की जाने वाली हल्दी की खेपों में से 99.95% से अधिक निर्यात बाज़ारों में स्वीकृत की गई और अस्वीकृति दर 0.05% से कम रही ।

स्पाईसेस बोर्ड, अपनी स्कीम "निर्यात विकास हेतु प्रगतिशील, नवाचारी एवं सहयोगात्मक कार्यकलापों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में सततता (एसपीआईसीईडी)" के अंतर्गत हल्दी सहित 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए कार्यकलाप करता है।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सहित देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों की क्षमता का उपयोग करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है:

i. हल्दी में नये उत्पाद के विकास और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना;
ii. अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में हल्दी और हल्दी उत्पादों के बारे में जागरूकता और खपत को बढ़ावा देना;
iii. मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के विकास के लिए संभावित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बाजार अनुसंधान को सुविधा प्रदान करना ;
iv. हल्दी और हल्दी उत्पादों के निर्यात हेतु अवसंरचना और लॉजिस्टिक के सृजन और सुधार को सुविधा प्रदान करना;
v. फॉरवर्ड और बैंकवर्ड लिंकेजों को सुदृढ़ करके हल्दी और हल्दी उत्पादों के लिए लचीली और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना;
vi. हल्दी की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देना;
vii. मूल्य संवर्धन कार्यकलापों के लिए हल्दी उत्पादकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना;
viii. हल्दी के उपयोग और इसके अनुप्रयोगों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण को सुदृढ़ करना;
ix. हल्दी के अध्ययन, क्लिनिकल परीक्षणों और औषधीय, स्वास्थ्य और अरोग्य वर्धित गुणों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना; और
x. हल्दी क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य उद्देश्य। ।

वर्ष 2023-24 में भारत में हल्दी का उत्पादन 2.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 10.63 लाख टन था। वर्ष 2024-25 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान इरोड और निजामाबाद के प्रमुख बाजारों में हल्दी की घरेलू कीमत क्रमशः 136.19 रुपये/किलोग्राम और 121.34 रुपये/किलोग्राम थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह क्रमशः 83.60 रुपये/किलोग्राम और 88.44 रुपये/किलोग्राम थी, जिसमें इरोड बाजार में 62.9% और निजामाबाद बाजार में 37.2% की वृद्धि दर्ज की गई। सुपारी और मसाला विकास निदेशालय (डीएएसडी) छत्तीसगढ़ में बस्तर, ओडिशा में कंधमाल, महाराष्ट्र में वैगांव और आंध्र प्रदेश में चिंतापल्ली जैसे चुनिंदा स्थानों में उच्च करक्यूमिन के साथ हल्दी के निर्यातोन्मुखी उत्पादन के बड़े पैमाने पर डेमन्स्ट्रेशन के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

हल्दी किसानों द्वारा शुद्ध और साथ ही इंटरक्रॉप (अनाज, दलहन, तिलहन, अन्य मसालों आदि के साथ) के रूप में उगाई जाने वाली एक वार्षिक फसल है और रोपण से कटाई तक की अवधि 180 दिनों से 280 दिनों तक होती है कृषिजोपजाति/ किस्मों पर निर्भर करती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार हल्दी सहित बागवानी फसलों के विकास के लिए अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। मिशन कार्यक्रमों का उद्देश्य घरेलू तथा निर्यात बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन, उत्पादकता तथा उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

***